संख्या 3959/1-9-11-राज0-9

प्रेषक

के0के0सिन्हा
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-9 लखनऊ :दिनांक 30 सितम्बर 2011।

विषयः आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में ।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आय प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

2- उक्त के कम में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर से सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सक्षम स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र की वैधता 03 वर्ष तक मान्य रहेगी। इस बीच निर्गत आय प्रमाण पत्र में त्रुटि में सुधार हेतु अथवा निर्गत आय प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में यदि आवेदक द्वारा पुनः आवेदन पत्र दिया जाता है तो उसकी विधिवत जांच/परीक्षण के उपरान्त आय प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जाय।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(के0के0सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीश दुबे)
सयुंक्त सचिव।